

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक. 232 दिनांक. 28/7/2012

गत सभा दिनांक 4/7/2012 के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर-इन-कौंसिल
नगर पालिक निगम, इंदौर

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
- 2- रेसीडेन्ट आडिट
- 3- सूचना एवं प्रोद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इंदौर
- 4- लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इंदौर
की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 233 दिनांक 28-07-2012

नगर पालिक निगम, इन्दौर द्वारा वार्षिक दर (झोनल दर) के निर्धारण हेतु आयुक्त का पत्र क्रमांक 103/सी.ई./बिल्स/12-13 दिनांक 28-07-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में निम्नांकित सदर कार्य हेतु वार्षिक दर (झोनल दर) के निर्धारण हेतु दिनांक 19-06-2012 को 08 कार्यों (कॉलम नं.02) के लिए प्राप्त निविदाओं पर निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता (कॉलम नं.03) द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम निविदा दर (कॉलम नं.04) के वार्षिक दर (झोनल दर) निर्धारण हेतु निम्नानुसार स्वीकृति दी जावे :-

अनु.क्र.	कार्य का नाम	न्यूनतम निविदा दर दरदाता	स्वीकृत न्यूनतम वार्षिक दर (झोनल दर) प्रतिशत में
1	2	3	4
1	वर्षा के पानी निकासी आर.सी.सी. नाली का निर्माण/संधारण।	1-श्री विवेक सोनी 2-मे.युनाईटेड कार्पोरेशन	एस.ओ.आर. दर एस.ओ.आर. दर
2	खुली भूमि का फेंसिंग करना।	श्री विवेक सोनी	एस.ओ.आर. दर
3	पुल/पुलियाओं की मरम्मत करना।	1-श्री चन्द्रभान आयलदास 2-श्री कमलचंद सोनी	75.00 % अधिक 75.00 % अधिक
4	सड़कों का सीमेंट कांक्रीट करना संधारण कार्य।	मे. जीत कंस्ट्रक्शन	2.75 % अधिक
5	इन्टरलॉकिंग टाईल्स लगाना/संधारण करना।	मे. जीत कंस्ट्रक्शन	1.00 % कम
6	सड़कों का मेटल पेंचवर्क एवं गिट्टी मोरम बिछाना करना।	श्री विनोद शर्मा	22.98 % अधिक
7	सड़कों का डामर पेंचवर्क कार्य।	मे. जीत कंस्ट्रक्शन	19.25 % अधिक
8	सड़कों एवं पटरियों का लेवल नीचे करना एवं मिट्टी मलवा फेंकना।	श्री विनोद शर्मा	5.98 % अधिक

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

इस राय के साथ प्रकरण निगम परिषद में रखा जावे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 677-78

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 234 दिनांक 28-07-2012

नगर निगम मुख्यालय प्रशासनिक भवन के निर्माण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 59/सी.ई./योजना दिनांक 23-07-12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्र. 107 दिनांक 26-07-2012 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 297 दिनांक 28-07-2008 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में नगर निगम मुख्यालय प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु प्रस्ताव (डिजाईन) आमंत्रित किये गये थे प्रस्ताव को लगभग 2 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने से प्राप्त निविदा निरस्त कर प्रशासनिक भवन की डिजाईन हेतु पुनः निविदा (आर.पी.एफ.) आमंत्रित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी जावे।

इस राय के साथ प्रकरण निगम परिषद में रखा जावे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक. 31.07.2012

क्रमांक 681-82

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 235 दिनांक 28-07-2012

प्राणी संग्रहालय में कार्यरत 02 कुशल + 23 अकुशल, कुल 25 मस्टर श्रमिकों की अवधि में वृद्धि कर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 282/प्राणी संग्रहालय/2012 दिनांक 23-07-2012 पर प्रभारी विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग की राय दिनांक 27-07-2012 विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में प्राणी संग्रहालय में कार्य हेतु मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 31 दिनांक 16-04-2012 के तारतम्य में 02 कुशल + 23 कुल 25 अस्थायी मस्टर श्रमिकों की आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिये (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 सितम्बर 2012 से 31 दिसम्बर 2012 तक की अवधि वृद्धि कर कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे। आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.07.12

क्रमांक 637-38

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 236 दिनांक 28-07-2012

झोन क्रमांक 04 महाराणा प्रताप झोन की नवीन स्थापना होने से कार्यरत 10 (मस्टर) श्रमिकों को रखने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 22 दिनांक 21-05-2012 पर विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति की राय क्रमांक 2766 दिनांक 11-07-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति के एवं अनुशंसा के प्रकाश में झोन क्रमांक 04 महाराणा प्रताप झोन की नवीन स्थापना होने से फील्ड कार्य हेतु पर्याप्त बेलदार नहीं होने से जनकार्य, कंट्रोल रूम व्यवस्था एवं अधिकांश झोनल क्षेत्र गरीब बस्तियों में नीचले क्षेत्र में निस्तार के पानी की निकासी आदि प्रबंधन के कार्य आवश्यकता के दृष्टिगत 10 (मस्टर) श्रमिकों को कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की स्वीकृति पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित कुशल श्रमिक पारिश्रमिक दर पर नितान्त अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 31 दिसम्बर 2012 तक कार्य लेने की स्वीकृति की जाती है। इसमें होने वाला मद व्यय गौ-शाला से संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक 31.06.2012

क्रमांक 639-40

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
 2. रेसीडेन्ट आडिट
 3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
 4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
- की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव

नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 237 दिनांक 28-07-2012

कम्प्यूटर ऑपरेटर मस्टर श्रमिक श्री मंगेश यादव पिता श्री रमेश यादव के प्रकरण पर विचार किया गया। मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 92 दिनांक 05-07-2011 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त झोनल अधिकारी की मांग के प्रकाश में मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 92 दिनांक 05-07-2011 के तारतम्य में झोन क्रमांक 08 विजय नगर झोन पर कम्प्यूटर कार्य हेतु श्री मंगेश यादव पिता श्री रमेश यादव की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 फरवरी 2012 से 31 दिसम्बर 2012 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 641-42

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 238 दिनांक 28-07-2012

गौशाला ग्राम खजुरिया में कार्यरत 05 कुशल + 13 अकुशल कुल 18 मस्टर श्रमिकों की दिनांक 01-04-2012 से स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 27/गौशाला/2012 दिनांक 14-06-2012 पर विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति की राय क्रमांक 2767 दिनांक 11-07-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति के एवं अनुशंसा के प्रकाश में ग्राम खजुरिया स्थित निगम गौशाला के पशुओं के स्वास्थ्य, खाना खुराक रखरखाव प्रबंधन/सुरक्षा समुचित साफ-सफाई व्यवस्था के कार्य हेतु मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 375 दिनांक 20-01-2012 के तारतम्य में 01 गौ सेवक, 04 सफाई कर्मी एवं 13 अकुशल कुल 18 मस्टर कर्मियों की कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की स्वीकृति पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित कुशल श्रमिक पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अप्रैल 2012 से 06 माह तक कार्य लेने की स्वीकृति की जाती है। इसमें होने वाला मद व्यय गौ-शाला से संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 643-44

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 239 दिनांक 28-07-2012

इन्दौर शहर के समस्त झोनों पर अण्डर ग्राउण्ड ड्रेनेज लाईन चौक होने की शिकायतों का निराकरण हेतु टास्क फोर्स बनाने हेतु कुल 60 श्रमिकों को 29-29 दिवस हेतु 5 माह के लिये निर्धारित पारिश्रमिक दर पर रखने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1141 दिनांक 27-07-2012 पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में इन्दौर शहर के समस्त झोनों के अन्तर्गत आने वाले वार्ड/क्षेत्रों में स्थित अण्डर ग्राउण्ड ड्रेनेज लाईनों चौक होने पर शिकायतों का त्वरित निराकरण करने हेतु समस्त झोनल कार्यालय हेतु 10 श्रमिकों का टास्क फोर्स बनाने हेतु कुल 60 श्रमिकों को 5 माह के लिये आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिये जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अगस्त 2012 से 06 माह तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय बजट मद क्रमांक 2101021 अस्थाई श्रमिकों का पारिश्रमिक में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 645-46

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इंदौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 240 दिनांक 28-07-2012

मलेरिया टास्क फोर्स के तहत 52 श्रमिकों की अवधि बढ़ाने के संबंध में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय क्रमांक 02 दिनांक 26-07-2012 पर विचार किया गया। मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 439 दिनांक 28-02-2012 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 439 दिनांक 28-02-2012 के तारतम्य में मलेरिया स्वास्थ्य विभाग द्वारा सम्पूर्ण शहर के नदी नालों की सफाई, लार्वा नाशक दवाओं का छिड़काव एवं अन्य कार्य हेतु 52 सफाई बेलदार मस्टर श्रमिक (सफाई संरक्षक) की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की अवधि पर दिनांक 01 जून 2012 से 3 माह तक की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 647-48

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 241 दिनांक 28-07-2012

माननीय श्रम न्यायालय अधिनिर्णय के परिपालन में यशवंत सागर पंपिंग स्टेशन एवं देवधरम फिल्टर स्टेशन पर संधारण कार्य हेतु पूर्व से कार्यरत अस्थायी श्रमिकों की समयावधि बढ़ाने के संबंध में आयुक्त पत्र क्र. 284 दिनांक 23-05-12 पर विधि तथा सामान्य प्रशासन समिति की राय क्रमांक 2761 दिनांक 11-06-12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के अनुलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित अनुसार दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में माननीय श्रम न्यायालय के अधिनिर्णय के परिपालन में यशवंत सागर पंपिंग स्टेशन एवं देवधरम फिल्टर पर संधारण कार्य हेतु पूर्व से कार्यरत 16 मस्टर अस्थायी श्रमिकों की समयावधि दिनांक 01 अप्रैल 2012 से 06 माह तक की अवधि वृद्धि कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय बजट मद "अस्थाई श्रमिकों का पारिश्रमिक" में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 649-50

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 242 दिनांक 28-07-2012

श्री गोविन्द पिता हरिलाल कैथवास मस्टर श्रमिक की अवधि वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 820 दिनांक 05-07-2012 पर विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति की राय क्रमांक 2817 दिनांक 27-07-2012 पर विचार किया गया । मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 434 दिनांक 25-02-12 का अवलोकन किया गया ।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 434 दिनांक 25-02-12 के तारतम्य में श्री गोविन्द पिता हरिलाल कैथवास की श्मशान घाट की देखरेख हेतु चौकीदार/माली के कार्य एवं श्मशान के रजिस्टर से प्रतिदिन इंट्री लाकर जन्म-मृत्यु पंजीयन जमा कराना आदि हेतु जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक 29-29 दिवस की दर पर कार्य आवश्यकता व औचित्य के आधार पर माह 01 अप्रैल 2012 से 06 माह तक की अवधि के लिये नितांत अस्थाई रूप से कार्य लेने की स्वीकृति (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. पारिश्रमिक का भुगतान विभागीय अधिकारी के प्रमाणीकरण के पश्चात ही किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 651-52

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 243 दिनांक 28-07-2012

यशवंत सागर "हेडवर्क्स" कार्य पर अस्थाई श्रमिकों की समयावधि बढ़ाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 02 दिनांक 05-04-2012 पर विधि तथा सामान्य प्रशासन समिति की राय दिनांक 04-07-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 145 दिनांक 18-08-2011 के तारतम्य में यशवंत सागर पम्पिंग स्टेशन व देवधरम फिल्टर स्टेशन पर नियमित स्टॉफ की कमी होने के कारण यशवंत सागर पम्पिंग स्टेशन व देवधरम फिल्टर स्टेशन 08 अस्थाई (मस्टर) कर्मचारियों को मेन्टेनेंस कार्य हेतु कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिये जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) अवधि दिनांक 01-03-2012 से छः माह तक करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय बजट मद "अस्थाई श्रमिकों का पारिश्रमिक" में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 653-54

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर
पंजीयन क्रमांक 226

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 244 दिनांक 28-07-2012

यशवंत सागर नवीन बाँध स्थल पर कार्य हेतु अस्थायी श्रमिक की समयावधि बढ़ाने हेतु के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 395 दिनांक 29-05-2012 पर विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति राय पृ.क्रमांक 2763 दिनांक 11-07-12 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 476 दिनांक 22-03-2012 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 476 दिनांक 22-03-2012 द्वारा दी स्वीकृति के तारतम्य में यशवंत सागर नवीन बांध पर कार्य हेतु 12 श्रमिकों की आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिये जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर 12 श्रमिकों की नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अप्रैल 2012 से छः माह तक अवधि वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय बजट मद क्रमांक 2305603 "बांध पर आपरेटर इलेक्ट्रिक संबंधी व्यय" में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 655-56

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं. 1 फाईल
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 245 दिनांक 28-07-2012

महापौर टास्क फोर्स के तहत श्रमिकों के दल हेतु अतिरिक्त श्रमिकों की व्यवस्था के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 394 दिनांक 22-05-2012 पर विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति राय क्रमांक 2760 दिनांक 11-07-2012 पर विचार किया गया। मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 341 दिनांक 24-12-2012 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 341 दिनांक 24-12-2012 के द्वारा दी गई 50-50 कुल 100 श्रमिकों की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 जुलाई 12 से छः माह तक की अवधि वृद्धि पर कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है।

3. चर्चा के प्रकाश में तीन अतिरिक्त महापौर टास्क फोर्स दल के गठन हेतु 30-30 श्रमिकों के आधार पर 90 श्रमिकों की तथा उक्त दलों के नियंत्रण हेतु प्रत्येक दल पर 01 कुशल श्रमिक के रूप में जिसकी योग्यता सेनेटरी डिप्लोमा/हायर सेकेण्डरी हो, ऐसे 7 श्रमिक अतिरिक्त रूप से कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस की अवधि पर 01 अगस्त 2012 से पाँच माह तक की अवधि पर नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

4. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 657-58

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 246 दिनांक 28-07-2012

रैन बसेरा योजना हेतु मस्टर कर्मचारी रखने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 58 दिनांक 24-07-2012 पर प्रभारी आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग की राय क्रमांक 110 दिनांक 28-07-2012 विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में खोले गये रैन बसेरों हेतु संक्षेपिका में उल्लेखित 15 मस्टर कर्मियों की आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिये (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अगस्त 2012 से छः माह तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 659-60

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 247 दिनांक 28-07-2012

सरवटे एवं गंगवाल बस स्टेण्ड्स पर संचालित रैन बसेरा योजना महिला कक्ष में 2 महिला कर्मी की अवधि वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 623/स्वा. दिनांक 20-06-2012 पर विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग की राय क्रमांक 2768 दिनांक 11-07-2012 विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सरवटे एवं गंगवाल बस स्टेण्ड्स पर संचालित रैन बसेरा योजना महिला कक्ष में दो महिला मस्टर कर्मियों की आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिये (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 फरवरी 2012 से छः माह तक की अवधि वृद्धि कर, कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 661-62

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 248 दिनांक 28-07-2012

झोन पर अतिरिक्त रूप से कार्यरत 30-30 अतिरिक्त श्रमिकों की अवधि बढ़ाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 395 दिनांक 22-05-2012 पर विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति की राय क्रमांक 2759 दिनांक 11-07-2012 पर विचार किया गया एवं मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 343 दिनांक 24-12-11 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 343 दिनांक 24-12-11 के तारतम्य में शहर की साफ-सफाई कार्य प्रभावित नहीं हो को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक झोनल कार्यालय (झोन क्रमांक 01, 04, 07 एवं 08 को छोड़कर) पर अस्थाई तौर पर दैनिक वेतन पर 30-30 सफाई कर्मी जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक 29-29 दिवस की दर पर सफाई कर्मियों कार्य आवश्यकता व औचित्य के आधार पर माह 01 जून 2012 से 31 जुलाई तक की अवधि के लिये नितांत अस्थाई रूप से कार्य लेने की स्वीकृति (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. पारिश्रमिक का भुगतान विभागीय अधिकारी के प्रमाणीकरण के पश्चात ही किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 663-64

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 249 दिनांक 28-07-2012

श्री अमित परमार पिता श्री महेश परमार कुशल श्रमिक (प्रभारी मस्टर कम्प्यूटर ऑपरेटर) की पूर्व स्वीकृति के क्रम में 29-29 दिवस की कार्य अवधि वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 3432 दिनांक 28-03-2012 पर प्रभारी विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग की राय पृष्ठांकन राय क्रमांक 2771 दिनांक 11-07-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 261 दिनांक 13-10-2011 के तारतम्य में मॉ हरसिद्धि झोनल कार्यालय पर कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्य करने के लिये कुशल मस्टर श्रमिक (प्रभारी मस्टर कम्प्यूटर ऑपरेटर) के रूप में कार्य कर रहे श्री अमित परमार पिता श्री महेश परमार अस्थायी मस्टर श्रमिक की आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिये (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अप्रैल 2012 से छः माह तक की अवधि वृद्धि कर कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 665-66

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 250 दिनांक 28-07-2012

सिरपुर तालाब की सुरक्षा हेतु कार्यरत 03 सुरक्षा गार्ड अस्थाई श्रमिकों की समयावधि बढ़ाने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 735 दिनांक 21-06-12 पर विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति की राय क्रमांक 2769 दिनांक 11-07-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सिरपुर तालाब की सुरक्षा हेतु मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 191 दिनांक 29-08-11 के तारतम्य में पूर्व से कार्यरत 03 सुरक्षा गार्ड अस्थाई श्रमिकों की आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिये जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अप्रैल 2012 से छः माह तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय बजट मद "सिरपुर तालाब बनाना" में से होगा। विभागीय अधिकारी के प्रमाणीकरण के पश्चात पारिश्रमिक का भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 667-68

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त स.1 फा.
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 251 दिनांक 28-07-2012

शहर के प्रत्येक वार्ड में अण्डर ग्राउण्ड ड्रेनेज सफाई कार्य हेतु 34 वार्डों में रखे गये 86 अतिरिक्त ड्रेनेज श्रमिकों की कार्यावधि बढ़ाने की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 390 दिनांक 29-05-12 पर विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति की राय क्रमांक 2762 दिनांक 11-07-2012 पर विचार किया गया।

3. विचारोपरान्त आयुक्त पत्र में दशाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 420 दिनांक 23-02-2012 के तारतम्य में 15 झोनल कार्यालयों पर अण्डर ग्राउण्ड ड्रेनेज सफाई कार्य हेतु प्रत्येक वार्ड में 5 श्रमिक एवं 1 दरोगा, अनुसार 34 वार्डों में 86 अतिरिक्त श्रमिक केवल ड्रेनेज सफाई कार्य हेतु कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर 29-29 दिवस की अवधि पर (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 मार्च 2012 से 06 माह तक कार्य लेने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद से होगा।

4. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 669-70

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त स.1फा.
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 252 दिनांक 28-07-2012

शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ में कार्यरत संवदि कम्प्युटर ऑपरेटरों की अवधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 361/श.ग.उ.प्र./12-13 दिनांक 17-05-2012 पर विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग की राय पृष्ठांकन राय क्रमांक 2758 दिनांक 11-07-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 444 दिनांक 28-02-2012 के तारतम्य में शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ में विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं का संचालन हेतु कार्यरत 05 कम्प्युटर ऑपरेटरों की आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिये (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01 अप्रैल 2012 से 06 माह तक की अवधि वृद्धि कर कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 671-72

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 253 दिनांक 28-07-2012

जीवदया अभियान के अन्तर्गत लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार योजना प्रारंभ करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1107-ए दिनांक 28-07-2012 पर विचार किया गया ।

2. आयुक्त के पत्र में उल्लेखित अनुसार श्री सद्गुरु दत्त धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट सुखलिया इंदौर द्वारा संस्था द्वारा संचालित जीवदया अभियान अंतर्गत लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार योजना की अनुमति एवं सहयोग बाबद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव में उल्लेख किया है कि श्री भय्यूजी महाराज के मार्गदर्शन में संस्था लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत इंदौर शहर में प्राप्त होने वाली लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार धार्मिक रितिरिवाज से संस्था स्वयं निःशुल्क सेवा के रूप में किया जा रहा है। संस्था को उक्त कार्य हेतु पुलिस प्रशासन के पत्र क्रमांक वपुअ/इसीआर/413/12 दिनांक 16.07.12 द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। संस्था द्वारा उक्त कार्य हेतु नगर निगम की ओर से मुक्तिधाम, देवास घाट, रामबाग मे डीजल पर संचालित अग्निदाह मशीन की रखरखाव की निःशुल्क व्यवस्था चाही गई है। मालवा मिल मुक्तिधाम, जूनी इंदौर मुक्तिधाम, पंचकुइया के विद्युत शवदाह के रखरखाव की व्यवस्था निगम के विद्युत विभाग द्वारा की जावेगी। लावारिस लाशों का पंजियन नगर निगम द्वारा नहीं किया जाता है, परंतु श्मशान पर दाहसंस्कार के पश्चात रेकार्ड की जानकारी जिला योजना सांख्यिकी अधिकारी को भेजी जाती है। संस्था द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति चाही गई है।

3. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में श्री सद्गुरु दत्त धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट सुखलिया इंदौर संस्था को जीवदया अभियान अंतर्गत लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार धार्मिक रितिरिवाज से करने एवं अंतिम संस्कार हेतु मुक्तिधाम, देवास घाट, रामबाग मे डीजल पर संचालित अग्निदाह मशीन की रखरखाव की निःशुल्क व्यवस्था की अनुमति दी जावे।

इस राय के साथ प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 679-80

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त सं-1 फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 254 दिनांक 28-07-2012

मेसर्स इनडेवलप नई दिल्ली को लायसेन्स हेतु दिये गये ठेके पर पुनर्विचार करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक लायसेंस/133 दिनांक 28.07.12 पर विचार किया गया। नगर पालिक निगम प्रस्ताव क्रमांक 60 दिनांक 19.08.2011 एवं प्रस्ताव क्रमांक 122 दिनांक 30.11.2011 का अवलोकन किया गया।

2. आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित अनुसार शहर के व्यवसाईयों को सुविधा पूर्वक लायसेन्स की प्राप्ति, निगम हित में अधिक से अधिक लायसेन्स बनाना, एवम लायसेन्स प्रणाली में सरलीकरण जिससे अधिक से अधिक व्यवसायी लायसेन्स बनाने हेतु प्रेरित हो को दृष्टिगत रखते हुए लायसेन्स बनाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई। प्राप्त निविदाओं में मेसर्स इनडेवलप ई- 23 लाजपत नगर पार्ट-3 नई दिल्ली को स्वीकृति प्रदान की गई। सक्षम स्वीकृति उपरान्त दिनांक 21.09.11 को फर्म के साथ निगम हित में अनुबन्ध निष्पादित कर 18 माह के लिये ठेका दिया गया होकर फर्म द्वारा 04-10-2011 से कार्य प्रारंभ किया गया। फर्म द्वारा कार्य प्रारंभ किये जाने के पश्चात ठेकेदार फर्म के किन्ही कर्मचारियों द्वारा नकली रसीद जारी करने की खबरें स्थानीय समाचार पत्रों में छपी थी। जिससे न केवल लायसेन्स संख्या में गिरावट आई बल्कि निगम की छबि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस बाबद व्यवसाईयों द्वारा भी अपनी शिकायतों में आक्रोश व्यक्त किया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों मेसर्स इनडेवलप के कर्मचारियों द्वारा नगद राशी प्राप्त कर पूर्व में जारी हो चुके लायसेन्स के रजिस्ट्रेशन नं. पर नया लायसेन्स सर्टिफिकेट जारी करने का मामला भी प्रकाश में आया है। जिसकी पुलिस प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है।

3. मेसर्स इनडेवलप को कारण बताओं सूचना पत्र क्रमांक 93 दिनांक 22/06/2012 जारी किया गया जिसका फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। अनुबंध की कंडिका क्रमांक 6 के अन्तर्गत उप कंडिका 6.1 एवं 6.2 अनुसार आयुक्त द्वारा गठित लायसेन्स को आर्डिनेशन कमेटी द्वारा दिनांक 09.07.12 को मेसर्स इनडेवलप के वर्तमान तक के किये गये कार्यों की समीक्षा की गई जिसमें पाया गया कि, निगम द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2011 से दिनांक 30 जून 2011 तक तीन माह में 22139 व्यवसाईयों के लायसेन्स बनाये, जबकि इनडेवलप कम्पनी द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2012 से दिनांक 30 जून 2012 तक तीन माह में मात्र 6286 व्यवसाईयों के लायसेन्स बनाये इसी प्रकार दिनांक 01 अप्रैल 2011 से दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक छः माह में निगम द्वारा 34843 व्यवसाईयों के लायसेन्स बनाये गये थे जबकि इनडेवलप कम्पनी द्वारा दिनांक अक्टूबर 2011 से दिनांक 31 मार्च 2012 तक छः माह में मात्र 7693 लायसेन्स ही बनाये गये इससे यह स्पष्ट होता है कि फर्म द्वारा निगम की तुलना में उतनी अवधि में लायसेन्स जारी होने की संख्या में अत्याधिक कमी आई है। को-आर्डिनेशन कमेटी की बैठक में कार्यवृत्त दिनांक 09-07-2012 में उपरोक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त ठेका निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

4. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में निगम हित में अधिक से अधिक लायसेन्स बनाने एवं शहर के व्यवसाईयों को सुविधा पूर्वक लायसेन्स प्राप्त होने, लायसेन्स के सरलीकरण, व्यवसाईयों को लायसेन्स बनाने हेतु प्रेरित करने व व्यवसाईयों का डाटा एकत्रित करने आदि स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए लायसेन्स का कार्य ठेके पर प्रदान किया गया था किन्तु को आर्डिनेशन कमेटी की समीक्षा में जिस अवधि में निगम द्वारा जितने लायसेन्स बनाये गये थे उतनी ही अवधि में फर्म मेसर्स इन डेवलप नई दिल्ली द्वारा मात्र 30 प्रतिशत ही कार्य किया गया जिससे लायसेन्स बनने की संख्या अत्यन्त कम होने, कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा व्यवसाईयों से संतोषप्रद व्यवहार नहीं करने, कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा नकली रसीद जारी कर निगम को वित्तीय हानि पहुँचाने, निगम की छबि पर विपरीत प्रभाव पड़ने तथा कम्पनी को निगम द्वारा जारी कारण बताओं सूचना पत्र का प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं देने के कारणों को-आर्डिनेशन कमेटी की अनुशंसा अनुसार निगमहित एवं जनहित में मेसर्स इन डेवलप कम्पनी से किया गया अनुबंध/ठेका निरस्त करने की स्वीकृति प्रदान की जावे। कम्पनी से अनुबंध/ठेका समाप्त होने के पश्चात निगम द्वारा लायसेन्स बनाने का कार्य किया जावे।

इस राय के साथ प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।

(ह.)कृष्णामुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 685-86

दिनांक 31.7.12

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 255 दिनांक 28-07-2012

नगर पालिक निगम, इन्दौर में पदस्थ मस्टर कर्मियों (उपयंत्रियों) को नियमित करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 942 दिनांक 04-06-12 पर विधि एवं सामान्य प्रशासन विभाग की पृष्ठांकन राय क्रमांक 2765 दिनांक 11-07-2012 पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में उल्लेखित अनुसार नगर पालिक निगम कर्मचारी परिषद के द्वारा 18 मस्टर उपयंत्रियों को नियमित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल के द्वारा दिनांक 16-05-2007 को जारी परिपत्र अनुसार दिनांक 10-04-2006 को जिन कर्मचारियों को 10 वर्ष अथवा उससे अधिक का समय पूर्ण हो चुका है उन्हें ही नियमित करने के निर्देश दिये गये हैं किन्तु यह कर्मचारी उपरोक्त अवधि के बाद के होने के कारण इन्हें नियमित नहीं किया जा सका है। नगर निगम, इन्दौर में उपयंत्रियों के 74 पद नियमित सेवा के एवं 26 पद योजना अवधि के लिये स्वीकृत है। इसमें से वर्तमान में 38 पद नियमित सेवा के एवं 21 पद योजना अवधि के रिक्त है इतनी बड़ी संख्या में पदों के रिक्त होने के कारण निगम के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उपरोक्तानुसार जिन मस्टर कर्मचारियों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं प्रस्तुत की है वह नगर निगम, इन्दौर में वर्ष 1997 से 2001 के मध्य मस्टर पर रखे गये हैं अर्थात् इन मस्टर उपयंत्रियों को नगर निगम में कार्य करते हुए 10 वर्ष से अधिक का समय पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में परिस्थितियों एवं श्रम अधिनियम के प्रावधानों के तहत इन्हें सेवा से मुक्त करना संभव नहीं है। निगम द्वारा रिक्त उपयंत्रियों के पदों की पूर्ति के लिए जब-जब भी प्रयास किये गये हैं तब इन मस्टर उपयंत्रियों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाएं दायर कर भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कराया जाता रहा है उचित होगा कि इन मस्टर कर्मचारियों की सेवा अवधि, कार्य अनुभव एवं निगम की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें उपयंत्रियों के रिक्त पदों पर नियमित कर दिया जावे, किन्तु शासन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में निगम स्तर से नियमितीकरण नहीं किया जा सकता इस विषय पर शासन स्तर पर नीतिगत निर्णय के पश्चात स्पष्ट निर्देश वांछनीय है। 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके इन मस्टर कर्मचारियों (उपयंत्रियों) को नियमित करने के संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता के द्वारा अपने अभिमत में भी उल्लेख किया है। शासन की ओर से याचिका में प्रस्तुत जवाब का आवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के द्वारा च छवण 4421ध09) एवं । छवण 21ध12) में पारित निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में इन मस्टर कर्मचारियों के प्रकरण में 6 माह की समयावधि में नगर निगम, इन्दौर के द्वारा निर्णय लिया जाना है।

3. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ, इन्दौर के द्वारा च छवण 4421ध09) एवं । छवण 21ध12) में पारित निर्णय/निर्देश, विधिक राय की परिप्रेक्ष्य में 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूर्ण कर चुके 18 मस्टर कर्मचारियों (उपयंत्रियों) को नियमित करने हेतु शासन स्तर पर नीतिगत निर्णय के लिए प्रकरण अग्रेषित करने की स्वीकृति दी जाती है। शासन आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियमितीकरण की कार्यवाही तदानुसार की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

क्रमांक 683-84

दिनांक 31.07.2012

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 256 दिनांक 28-07-2012

गोगानवमी एवं रक्षाबंधन आदि प्रमुख त्यौहारों पर अग्रिम राशि का भुगतान करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 30 दिनांक 25-07-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वर्ष 2012-13 में स्थाई सफाई कामगारों को गोगानवमी त्यौहार पर सामान्य भविष्य निधि के खाते से राशि रूपये 3000/- (अक्षरी-तीन हजार रूपये मात्र) एवं निगम के स्थाई पात्र कर्मचारियों /अधिकारियों को रक्षाबंधन त्यौहार पर सामान्य भविष्य निधि के खाते से राशि रूपये 600/- (अक्षरी-छः सौ रूपये मात्र) अग्रिम भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. मस्टर कर्मचारियों से आवेदन पत्र लेकर वेतन से समान किशतों में कटौती करने की सहमति पर राशि रूपये 1000/- (अक्षरी-एक हजार रूपये मात्र) त्यौहार अग्रिम भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

4. संबंधित कामगारों, कर्मचारियों तथा मस्टर कर्मचारियों से भुगतान की जाने वाली त्यौहार अग्रिम राशि समान किशतों में वसूल की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 687-88

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 257 दिनांक 28-07-2012

झोन क्रमांक 04 वार्ड क्रमांक 22 सेक्टर ए एक्स. औद्योगिक क्षेत्र सांवेर रोड यश होजियारी इंडिया प्रा. लि. 50 सेक्टर ए के पास से जनसहयोग से सीमेंट कांक्रीट करना एवं पानी निकासी हेतु स्ट्राम वॉटर लाईन डालने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 100/सी.ई./बिल्स/12-13 दिनांक 28-07-12 विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 205 दिनांक 30-06-2012 का अवलोकन किया गया।

2. आयुक्त के पत्र में उल्लेखित अनुसार सदर कार्य हेतु दिनांक 18-05-2012 को निविदा दर प्राप्त की गई जिसमें न्यूनतम निविदादाता मेसर्स ओम आदेश इन्टरप्राइजेस की एम.आय.सी. क्रमांक 205 दिनांक 30-06-2012 द्वारा स्वीकृति की गई। स्वीकृति अनुसार कार्य का कार्यादेश क्रमांक 212 दिनांक 30-06-2012 को जारी किया गया। जारी कार्यादेश के क्रम में ठेकेदार द्वारा दिनांक 23-07-12 को आवेदन प्रस्तुत कर बढ़ी हुई महंगाई के कारण कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की गई है। उपरोक्त ठेकेदार के प्राप्त आवेदन के क्रम में एवं निविदा की शर्त क्रमांक 3 (ए) अनुसार निविदा निरस्त कर ठेकेदार द्वारा कार्य के विरुद्ध जमा अर्नेस्टमनी राजसात करते हुए, ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड किये जाने की स्वीकृति तथा निविदा की शर्त क्रमांक 3 (सी.) अनुसार द्वितीय निविदादाता श्री चन्द्रभान आयलदास द्वारा प्रस्तुत दर राशि रुपये 17.99 प्रतिशत अधिक पर कार्य कराने व कार्य में न्यूनतम निविदादर से अधिक लगने वाली राशि प्रथम निविदादाता से वसूल की जाने की स्वीकृति के साथ ही अनुमान पत्रक राशि रुपये 33,27,885/- पर द्वितीय निविदादाता श्री चन्द्रभान आयलदास की दर रुपये 17.99 प्रतिशत अधिक की राशि रुपये 5,98,687/- सहित कुल व्यय होने वाली राशि रुपये 39,26,672/- एवं जनसहयोग से प्राप्त होने वाली सीमेंट 6870 बैग की राशि रुपये 18,89,250/- सहित कुल राशि रुपये 58,15,822/- की वित्तीय स्वीकृति/निर्णय चाहा गया है।

3. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में सदर प्रकरण में न्यूनतम निविदादाता मेसर्स ओम आदेश इन्टरप्राइजेस द्वारा कार्य स्वीकृति व कार्यादेश जारी होने के बाद कार्य नहीं करने से निविदा की शर्त क्रमांक 3 (ए) अनुसार निविदा निरस्त कर, ठेकेदार द्वारा कार्य के विरुद्ध जमा अर्नेस्टमनी राजसात करते हुए, ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड की करने स्वीकृति दी जाती है।

4. अनुमान पत्रक राशि रुपये 33,27,885/- पर द्वितीय निविदादाता श्री चन्द्रभान आयलदास की दर रुपये 17.99 प्रतिशत अधिक की राशि रुपये 5,98,687/- सहित कुल व्यय होने वाली राशि रुपये 39,26,672/- एवं जनसहयोग से प्राप्त होने वाली सीमेंट 6870 बैग की राशि रुपये 18,89,250/- सहित कुल राशि रुपये 58,15,822/- के कार्य कराने की वित्तीय स्वीकृति दी जाती है।

5. निविदा की शर्त क्रमांक 3 (सी.) अनुसार द्वितीय निविदादाता श्री चन्द्रभान आयलदास द्वारा प्रस्तुत दर राशि रुपये 17.99 प्रतिशत अधिक पर कार्य कराने से कार्य में लगने वाली अधिक राशि प्रथम न्यूनतम निविदाकार मेसर्स ओम आदेश इन्टरप्राइजेस से वसूल की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर

दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 689-90

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 258 दिनांक 28-07-2012

स्व. राजेश जोशी की स्मृति में कार्यक्रम आयोजन तथा सिलाई मशीन एवं कॉपियाँ वितरण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 632 दिनांक 23.7.12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में 12.8.12 को स्व.राजेश जोशी पूर्व पार्षद की पुण्य तिथि के अवसर पर सुभाष नगर चौराहे पर स्थित स्व. राजेश जोशी की प्रतिमा स्थल पर पूर्वानुसार कार्यक्रम आयोजित करने,निर्धन महिलाओं के लिए 150 सिलाई मशीन व निर्धन विद्यार्थियों के लिए 50 हजार कॉपियाँ नियमानुसार निविदा के आधार पर क्रय कर वितरण की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद "खेलकुद एवं सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम" में से किया जावेगा,तथा पात्र हितग्राहियों के चयन करने हेतु उपायुक्त,शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ को अधिकृत किया जाता है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 293-94

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 259 दिनांक 28-07-2012

नया वाहन महिन्द्रा एक्सयूवी-500 क्रय करने के संबंध में आयुक्त की टीप दिनांक 28.7.12 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त आयुक्त की टीप एवं चर्चा के प्रकाश में पर स्थानीय अधिकृत विक्रेता/डीलर से नवीन वाहन महिन्द्रा एक्सयूवी-500 नियमानुसार क्रय करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 291-92

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 260 दिनांक 28-07-2012

श्री अहिल्योत्सव समारोह हेतु मिलने वाले वार्षिक अनुदान राशि रूपये 2,00,000/- उपलब्ध कराने के संबंध में आयुक्त के पत्र दिनांक 28-07-2012 पर विचार किया गया । श्री अहिल्योत्सव समिति के सचिव श्री विठ्ठलराव गावडे का पत्र क्रमांक 43 दिनांक 23-07-2012 का अवलोकन किया गया ।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में देवी अहिल्या की पुण्यतिथि के अवसर पर दिनांक 16 अगस्त-2012 को आयोजित समारोह हेतु राशि रूपये 2,00,000/- (दो लाख) का अनुदान अहिल्या उत्सव समिति को बजट मद "अहिल्या पुरस्कार में निगम अंशदान" में से देने की स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है, दिये गये अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र लिया जावे ।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषदके समक्ष रखा जावे ।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे ।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 695-96

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल ।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 261 दिनांक 28-07-2012

वार्ड क्रमांक 34,36,37,62 एवं 64 की गंदी बस्तियों में विकास कार्य हेतु आश्रय निधि मद से प्राप्त राशि से कार्य कराने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र.704 दिनांक 13.6.12 पर जलकार्य समिति की राय क्र.13 दिनांक 14.6.12 पर विचार किया गया। चर्चा की गई। मेयर इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 254 दिनांक 30.4.10 एवं संकल्प क्रमांक 58 दिनांक 07.5.2010 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 58 दिनांक 07.06.10 द्वारा दी गई प्रदत्त स्वीकृति के परिलक्ष्य में विधान सभा क्षेत्र क्र.05 के अंतर्गत 07 स्थानों पर नलकूप खनन कर मोटर पंप सेट स्थापित करने हेतु न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स राज ब्रजेश्वरी इजी. वर्क्स के न्यूनतम भाव अनुमान पत्रक से 09 प्रतिशत कम की राशि रूपये 11,04,277/- के कार्य कराये गये, कार्य का भुगतान आश्रय निधि मद में से होना था परन्तु आश्रय निधि मद से प्राप्त देयक राशि चेक खाता क्रमांक में त्रुटिपूर्ण होने से तथा शासन द्वारा आश्रय निधि शुल्क के व्यय पर प्रतिबंध लगाये जाने से अर्थात् शासन से संशोधित चेक जारी करने की स्वीकृति अपेक्षित होने तथा कराये गए कार्य को दृष्टिगत रखते हुये लंबित देयक राशि रूपये 11,04,277/- का भुगतान निगम मद से कराये जाने की स्वीकृति दी जाती है। विभागीय अधिकारी कार्य होने का प्रमाणीकरण एवं देयक का पूर्व में भुगतान नहीं हुआ है। यह सुनिश्चित कर लेंगे। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 31.07.2012

क्रमांक 697-98

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 262 दिनांक 28-07-2012

“दः नेचर वालेंटियर्स,इन्दौर को वंडर्स ऑफ सिरपुर पुस्तक के लिये अनुदान देने के संबंध में आवेदक भालू मोढ़े,अध्यक्ष(“दः नेचर वालेंटियर्स,इन्दौर) के पत्र दिनांक 11.6.12 पर विचार किया गया।

2.विचारोपरान्त आवेदक को 1,00000/-/- (एक लाख रुपये केवल) की आर्थिक सहायता/अनुदान बजट मद क्रमांक. 2208010 “ आर्थिक सहायता/अनुदान पर व्यय” में से देने की स्वीकृति म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत बने म.प्र. नगर पालिक निगम(मेयर-इन कौंसिल/प्रेसिडेंट इन कौंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के नियम 5(चार) अनुसार निगम परिषद् प्रस्ताव क्र .79 दिनांक21.8.2001 द्वारा प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत दी जाती है। सहायता राशि का चेक “दः नेचर वालेंटियर्स,के नाम से जारी किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
नगर पालिक निगम,इंदौर
दिनांक 17.08.2012

क्रमांक 705-06

प्रतिलिपी:-

- 1- आयुक्त
 - 2- रेसीडेन्ट आडिट
- की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इंदौर

पंजीयन क्रमांक 248

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 263 दिनांक 28-07-2012

उद्यान विभाग के अन्तर्गत झोन क्रमांक 09 वार्ड क्र.44 के अन्तर्गत पलासिया थाने के पीछे पुलिस क्वार्टर के सामने स्थित उद्यान की कम्पाउण्ड वाल पाथ-वे का निर्माण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक सी.ई./ उद्यान/38 दिनांक 09.07.2012 पर खाद्य दिनांक 20.7.12 पर विचार किया गया।

2.विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 14,45,000/- के कार्य की निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
नगर पालिक निगम,इंदौर
दिनांक 17.07.2012

क्रमांक 719-20

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 264 दिनांक 28-07-2012

उद्यान विभाग के अन्तर्गत झोन क्रमांक 09 वार्ड क्रमांक 43 के साकेत नगर के.डी. केयर हॉस्पिटल के पीछे स्थित उद्यान की कम्पाउण्ड वाल एवं पाथ-वे का निर्माण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक सी.ई./उद्यान/280 दिनांक 28-06-2012 पर खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उद्यान विभाग की राय क्रमांक 20/खाद्य दिनांक 20-07-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 9,15,000/- की दिनांक 30-01-2012 को द्वितीयबार प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता श्री हर्ष शर्मा द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम निविदा दर राशि रूपये 10 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 91,500/- सहित कुल आकार राशि रूपये 10,06,500/- के कार्य कराने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 17.8.12

क्रमांक 711-12

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 257

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 265 दिनांक 28-07-2012

धार रोड स्थित सिरपुर मुक्तिधाम का विकास करने के संबंध में आयुक्त पत्र क्रमांक 61/सी.ई.0/बिल्स/11-12 दिनांक 27-06-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में सदर प्रकरण में अनुमान पत्रक राशि रूपये 35,26,000/- के कार्य कराने की निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 17.08.2012

क्रमांक 707-08

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
 2. रेसीडेन्ट आडिट।
 3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
 4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
- की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 266 दिनांक 28-07-2012

सांवेर रोड स्थित नरवल मुक्तिधाम का विकास करने के संबंध में आयुक्त पत्र क्रमांक 58/सी.ई.0/बिल्स/11-12 दिनांक 27-06-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में सदर प्रकरण में अनुमान पत्रक राशि रूपये 39,45,000/- के कार्य कराने की निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक.

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 267 दिनांक 28-07-2012

उद्यान विभाग के अन्तर्गत झोन क्रमांक 11 वार्ड क्रमांक 53 पटेल नगर म.नं. 37 मतलानी उद्यान की कम्पाउण्डवाल एवं पाथ-वे का निर्माण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र दिनांक 30-6-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 11,68,000/- पर दिनांक 12.06.2012 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स आरम्भ इन्टरप्राइजेस द्वारा प्रस्तुत एस.ओ.आर. पर दर रूपये 8 प्रतिशत अधिक की राशि रूपये 93,440/- सहित कुल आकार राशि रूपये 12,61,440/- के कार्य कराने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधि बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 17.08.12

क्रमांक 713-14

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 268 दिनांक 28-07-2012

झोन क्रमांक 13 में वार्ड क्रमांक 58 एवं 61 में अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1036, दिनांक 24-07-2012 पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय क्रमांक 33 दिनांक 26-07-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में झोन क्रमांक 13 में वार्ड क्रमांक 58 एवं 61 में वर्तमान में 36-36 सफाई कर्मी कार्यरत है। उक्त वार्डों में सफाई कर्मचारियों की कमी होने से साफ-सफाई का कार्य प्रभावित हो रहा है। साफ-सफाई कार्य प्रभावित नहीं होने को दृष्टिगत रखते हुए झोन क्रमांक 13 के अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 58 एवं 61 में अतिरिक्त रूप से 15-15 साफ-सफाई कर्मियों की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर नियमानुसार ब्रेक देकर 29-29 दिवस के लिये जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थायी रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) कार्यरत दिनांक से 31 दिसम्बर 2012 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है, इसमें होने वाला व्यय बजट मद "अस्थायी श्रमिकों का पारिश्रमिक" में से होगा।

3. विभागीय अधिकारी के कार्य प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 17.08.2012

क्रमांक 729-30

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 269 दिनांक 28-07-2012

5 सितम्बर 2012 को शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित करने के संबंध में शिक्षा समिति की राय पृष्ठांकन क्रमांक 737 दिनांक 25-07-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त प्रभारी के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं चर्चा के प्रकाश में शिक्षा समिति की बैठक दिनांक 19-07-2012 अनुसार शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को उनके व्यवहार शिक्षा क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवाओं तथा तीन वर्षों के परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए 3 प्राचार्य, 5 व्याख्याता, 5 उच्चश्रेणी शिक्षक, 5 सहायक शिक्षक, 5 प्रधान पाठक, 5 अध्यापक संवर्ग, एवं 02 खेलकूद शिक्षक को 5 सितम्बर- 2012 को शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित कर परम्परा अनुसार सम्मानित करने तथा इस पर होने वाले संभावित व्यय रूपये 2.00 लाख बजट मद "खेल-कूद एवं सांस्कृतिक समारोह" में से करने स्वीकृति दी जाती है, आवश्यकता अनुसार सचिव, शिक्षा समिति को अग्रिम राशि दी जावे, कार्यापरान्त अग्रिम राशि का समायोजन कराया जावे, समारोह आयोजन व स्थल हेतु प्रभारी शिक्षा विभाग को अधिकृत किया जा सकता है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 17.08.2012

क्रमांक 733-34

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 270 दिनांक 28-07-2012

उद्यान विभाग के अन्तर्गत झोन क्र.5 वार्ड क्र.35 बापट हॉस्पिटल के पास ए.एच.डी. सुखलिया म.न. 6 के सामने स्थित उद्यान की कम्पाउण्ड वाल पर लोहे के पाईप की जाली लगाना,गेट लगाना,फाउण्टेन की होद एवं पाथ-वे का निर्माण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र. सी.ई./उद्यान/255 दिनांक 17.7.12 पर खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उद्यान विभाग की राय क्र.23/खाद्य दिनांक 20.7.12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रूपये 33,56,000/-के कार्य की निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3- उक्त कार्य हेतु राशि रूपये 4.00 लाख विधायक निधि से प्राप्त किये जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 17.08.2012

क्रमांक 731-32

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

पंजीयन क्रमांक 266

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 271 दिनांक 28-07-2012

उद्यान विभाग के अन्तर्गत झोन क्रमांक 2 वार्ड क्रमांक 09 साउथ राजमोहल्ला स्थित बटुकेश्वर उद्यान की कम्पाउण्ड वाल निर्माण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक सी.ई. /उद्यान/60 दिनांक 17-07-2012 पर खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उद्यान विभाग की राय क्रमांक 23/खाद्य दिनांक 20-07-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु अनुमान पत्रक राशि रुपये 19,22,000/- के कार्य की निविदा आमंत्रण की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 17.08.2012

क्रमांक 727-28

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
 2. रेसीडेन्ट आडिट
 3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
 4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
- की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 272 दिनांक 28-07-2012

19 वें राष्ट्रमंडल खेल 2010 नई दिल्ली की क्वीन्स बेटल रिले के इन्दौर आगमन पर विभिन्न व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 462 दिनांक 7 जुलाई 2012 पर विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में 19 वें राष्ट्रमंडल खेल 2010 नई दिल्ली की क्वीन्स बेटन रिले इन्दौर आगमन पर तत्समय उनके सम्मान में निगम द्वारा दिये गये रात्रिभोज पर होटल मेसर्स अप्सरा रेस्टोरेंट को उनकी प्रचलित दरों पर भोजन व्यवस्था पर व्यय राशि रूपये 93,765/- (अक्षरी-राशि रूपये तिरानवे हजार सात सौ पैसठ मात्र) नियमानुसार भुगतान की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय " खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम" में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु ।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 273 दिनांक 28-07-2012

वर्ष 2012-13 हेतु दाना चन्दी क्रय करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 220/प्राणी संग्रहालय/2012 दिनांक 09-07-2012 पर विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति की राय दिनांक 27.07.2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वर्ष 2012-13 हेतु प्राणी संग्रहालय में शाकाहारी वन्य प्रणियों के लिये दाना चन्दी सप्लाय करने के लिए वार्षिक ठेके हेतु दिनांक 13-02-2012 को प्राप्त निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स सहयोग कमर्शियल सेल्स द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित न्यूनतम दर स्वीकृति की जाती है :-

अनु.क्र.	प्रदाय की जाने वाली सामग्री	स्वीकृत न्यूनतम दर
1	गेहूँ	13.75 पैसे प्रति किलो
2	चना	37/- पैसे प्रति किलो
3	ज्वार	14.75 पैसे प्रति किलो
4	बाजरा	13.70 पैसे प्रति किलो
5	कंगनी	30/- प्रति किलो
6	मक्का	14/- प्रति किलो
7	चावल	19/- प्रति किलो
8	सोयाबीन	25/- प्रति किलो
9	खली मुंगफली	30/- प्रति किलो
10	खली कपास	14.95 पैसे प्रति किलो
11	सींगदाना	62/- प्रति किलो
12	सिका चना	45/- प्रति किलो
13	चापड़	12.25 पैसे प्रति किलो
14	गुड	28.75 पैसे प्रति किलो
15	नमक	5/- प्रति किलो
16	सूर्यमुखी	55/- प्रति किलो

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 23.08.2012

क्रमांक 743-44

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त स.1फा.
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 274 दिनांक 28-07-2012

वित्तीय वर्ष 2012-13 में 31 मार्च 2012 तक का बकाया सम्पत्तिकर एवं अन्य संबंधित कर एकमुश्त जमा/भुगतान करने पर सम्पूर्ण अधिभार में छूट की अवधि बढ़ाने के संबंध में विचार किया गया। चर्चा की गई।

2. निगम प्रस्ताव क्रमांक 09 दिनांक 12-04-2012 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट में शहरी सीमा में स्थित शासन/जिला प्रशासन/परिषद द्वारा घोषित गरीब/मलीन/गंदी बस्तियां शहर के किसी भी क्षेत्र/रेट ज़ोन में स्थित होने पर सम्पत्तिकर एवं अन्य संबंधित कर पर देय अधिभार में 31 मार्च 2012 तक बकाया सम्पत्तिकर एवं अन्य संबंधित कर दिनांक 01 अप्रैल 2012 से 31 जुलाई 2012 तक एकमुश्त जमा/भुगतान करने पर सम्पूर्ण अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा इसके पश्चात जनहित में निर्णय लेने के लिए मेयर-इन-कौंसिल को अधिकृत किया गया है।

3. चर्चा में बताया गया कि, शहरी सीमा में स्थित शासन/जिला प्रशासन/परिषद द्वारा घोषित गरीब/मलीन/गंदी बस्तियां में सम्पत्तिकर एवं अन्य संबंधित कर में लगे सम्पूर्ण अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी गई जिसका गरीब/मलीन/गंदी बस्तियों के रहवासियों द्वारा बड़ी मात्रा में लाभ लिया गया तथा सहायक सम्पत्तिकर अधिकारियों से प्राप्त जानकारी अनुसार अधिभार में छूट अवधि की समय-सीमा कम होने से कई बस्ती के रहवासियों द्वारा उक्त छूट का लाभ प्राप्त नहीं कर सके एवं छूट अवधि बढ़ाने संबंधी मांग आ रही है। निगम एवं जनहित में अधिभार में छूट की अवधि बढ़ाये जाने से निगम सम्पत्तिकर दाताओं की संख्या में वृद्धि के साथ राजस्व वृद्धि की संभावना है।

4. विचारोपरान्त चर्चा के प्रकाश में निगम परिषद द्वारा प्रदत्त अधिकार के अन्तर्गत शहरी सीमा में स्थित शासन/जिला प्रशासन/परिषद द्वारा घोषित गरीब/मलीन/गंदी बस्तियों में निवासरत करदाताओं द्वारा दिनांक 31-03-2012 तक बकाया एकमुश्त जमा/भुगतान करने पर सम्पत्तिकर एवं अन्य संबंधित कर में लगे सम्पूर्ण अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाने की अवधि में दिनांक 31-12-2012 तक वृद्धि करने की स्वीकृति दी जाती है।

जानकारी हेतु निगम परिषद के समक्ष रख जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक

क्रमांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 275 दिनांक 28-07-2012

शहर के विभिन्न वार्डों में नदी/नालों पर पैदल पुल एवं पुलियाओं का निर्माण (पैकेज-1 राशि रुपये 150.00 लाख) के कार्य हेतु आमंत्रित निविदा की स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 336/सी.ई./योजना दिनांक 29/06/12 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 272 दिनांक 13-10-2011 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में शहर के विभिन्न वार्डों में नदी/नालों पर पैदल पुल एवं पुलियाओं का निर्माण (पैकेज-1 राशि रुपये 150.00 लाख) के कार्य हेतु ई-टेंडरिंग के माध्यम से दिनांक 05-06-12 को प्राप्त 02 निविदाओं में निविदा समिति एवं तकनीकी समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता मेसर्स चन्द्रभान आयलदास, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत दर राशि रुपये 78.28 प्रतिशत अधिक (यू.ए.डी.डी.एस.ओ.आर. दिनांक 01.06.2011 पर) की राशि रुपये 117.42 लाख सहित कुल राशि रुपये 267.42 लाख के कार्य कराने की तकनीकी, प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति निगम परिषद स्वीकृति की प्रत्याशा में दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3. कार्य निर्धारित मानक स्तर का एवं गुणवत्ता पूर्ण होने व कार्य के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।

पुष्टि हेतु प्रकरण निगम परिषद के समक्ष रखा जावे।
आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 23.08.2012

क्रमांक 753-54

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 276 दिनांक 28-07-2012

झोन क्रमांक 02 राजमोहल्ला, झोन के अन्तर्गत एक अस्थाई कम्प्युटर ऑपरेटर की निरंतर आवश्यकता होने से 29-29 दिवस एम.आई.सी. से स्वीकृति एवं अवधि करने की समक्ष स्वीकृति के संबंध में आयुक्त का पत्र क्र.604/झोन नं.2/12-13 दिनांक 22.6.12 पर विधि एवं सामान्य प्रशासन समिति की राय क्र.2823 दिनांक 01.08.2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में झोन क्रमांक 02 राजमोहल्ला झोन के अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 के तृतीयचरण कार्य के साथ-साथ स्थापना, लोक सेवा आयोग ग्यारंटी अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं सामान्य राशन कार्ड, न्यु नल संयोजन तथा नेट द्वारा जानकारी शासन को प्रेषित करना आदि कार्यों हेतु एक अस्थाई कु. शिखा पिता दिलीप श्रीमाली, कम्प्युटर ऑपरेटर के निरंतर आवश्यकता होने के दृष्टिगत कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 29-29 दिवस के आधार नियमानुसार ब्रेक देकर जिलाधीश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थाई रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) दिनांक 01.04.12 से 31.12.2012 तक कार्य लेने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय संबंधित बजट मद में से होगा।

3 विभागीय अधिकारी के प्रमाणीकरण के उपरान्त ही भुगतान किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 23.08.2012

क्रमांक 753-54

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 277 दिनांक 28-07-2012

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत सर्वधर्म सामुहिक विवाह सम्मेलन में गृहस्थी स्थापित करने की देय सामग्री के प्राप्त दरों का अनुमोदन करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 108/श.ग.उ.प्र./12-13 इन्दौर, दिनांक 04-07-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए सर्वधर्म सामुहिक विवाह सम्मेलन में निर्धन, जरूरतमंद, निराश्रित परिवारों के विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ताओं को मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत राशि रूपये 13,000/- के मान से ग्रहस्थी बसाने हेतु प्रदाय की जाने वाली चिन्हित सामग्री का निविदा में प्राप्त दरों का अनुमोदन अन्त्योदय समिति की अनुशंसा अनुसार किया जाता है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक 749-50

दिनांक 23.8.12

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 278 दिनांक 28-07-2012

झोन क्रमांक 08 के अन्तर्गत खजराना रिंग रोड़ की सर्विस रोड़ पर बी.आर.टी.एस. यार्ड स्कीम न. 94 प्लाट न. 6,7,8,9 के सामने एम.आर. 9 तक आर.एम.सी. द्वारा सीमेंट कांक्रीट करने के संबंध में आयुक्त पत्र क्रमांक 75/सी.ई.0/बिल्स/12-13 दिनांक 29-06-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति के प्रकाश में सदर प्रकरण में अनुमान पत्रक राशि रूपये 80,00,800/- के कार्य कराने की निविदा आमंत्रण करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम, इन्दौर
दिनांक 30.08.12

क्रमांक 769-70

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
 2. रेसीडेन्ट आडिट।
 3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
 4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर।
- की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 279 दिनांक 28-07-2012

जेएनएनयूआरएम अन्तर्गत मुख्य पीआईयू अधिकारी (प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट ऑफिसर एवं प्रोक्यूरमेन्ट ऑफिसर) की समयावधि वृद्धि के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 665/जेएनएनयूआरएम/2012 दिनांक 07-07-2012 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग की राय क्र. 106 दिनांक 26-07-2012 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्र. 1580 दिनांक 26-09-2008 एवं संकल्प क्र. 484 दिनांक 22-03-12 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र में दर्शाई स्थिति एवं अनुशांसा के प्रकाश में मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्र. 484 दिनांक 22-03-12 के तारतम्य में श्री चन्द्रशेखर तंवर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर एवं श्री प्रवीण कुमार गुप्ता, प्रोक्यूरमेन्ट ऑफिसर की केन्द्र शासन द्वारा जेएनएनयूआर के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की मानिट्रिंग आदि कार्यो हेतु संविदा नियुक्ति की गई थी। वर्तमान में योजनाओं के संबंधित डाक्यूमेंटेशन रिकार्ड, परियोजना उपरान्त बुक कीपिंग, सीवरेज प्रोजेक्ट, बहुमंजिला पार्किंग एवं शहरी गरीबों के लिए आवास निर्माण, प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण के कार्य गतिशील है, योजाना के सुचारु क्रियान्वयन, निविदा प्रक्रिया, प्रोगेस रिपोर्ट्स केन्द्र तथा राज्य शासन को समय-समय पर प्रेषित की जाने वाली जानकारी आदि कार्यो में तकनीकी सलाह एवं सहयोग के अन्तर्गत मुख्य पीआईयू अधिकारी (प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट ऑफिसर एवं प्रोक्यूरमेन्ट ऑफिसर) की कार्य आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर श्री तंवर एवं श्री गुप्ता की कार्य समयावृद्धि 31 अक्टूबर 2012 तक बढ़ाई जाने की स्वीकृति दी जाती है।

3. विभागीय अधिकारी के प्रमाणीकरण के पश्चात ही भुगतान किया जावे।
आयुक्त, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 3.9.12

क्रमांक 783-84

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिटर
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
- 4- लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
नगर पालिक निगम, इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 280 दिनांक 28-07-2012

जे.एन.एन.यू.आर.एम. सेल कार्यालय के अन्तर्गत कार्यरत कांट्रेक्ट मैनेजर की कार्य अवधि वृद्धि करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 399 दिनांक 4-6-12 पर आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण समिति की राय क्रमांक 86 दिनांक 21-06-2012 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 869 दिनांक 17-12-2007 संकल्प क्रमांक 457 दिनांक 31-01-2011 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में जेएनएनयूआरएम सेल कार्यालय में परियोजनाओं की मॉनटरिंग एवं कम्प्यूटर कार्य तथा जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित जानकारी एवं केन्द्र शासन, राज्य शासन तथा अन्य विभागों से पत्राचार एवं जानकारी तैयार किये जाने के कार्यों हेतु कांट्रेक्ट मैनेजर एवं स्टॉफ की आवश्यकता के दृष्टिगत कांट्रेक्ट मैनेजर की नियुक्ति मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 457 दिनांक 31-01-2011 के तारतम्य एवं कांट्रेक्ट मैनेजर की पूर्व स्वीकृत दर राशि रूपये 66,550/- प्रतिमाह पर निविदा की शर्त क्रमांक 9 अनुसार प्रत्येक वर्ष में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होने से दिनांक 08-03-2012 से भुगतान की नवीन दर से राशि रूपये 73,205/- प्रतिमाह पर कार्य अनुबंध की शर्त अनुसार अवधि वृद्धि दिनांक 31 अक्टूबर 2012 तक या जेएनएनयूआरएम मिशन प्रिरीयड तक (जो भी पूर्व हो) करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक 3.9.2012

क्रमांक 785-86

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिट
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 281 दिनांक 28-07-2012

शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थित सार्वजनिक नलकूपों पर विधिवत संयोजन प्राप्त करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 2582 दिनांक 16.01.12 पर जलकार्य समिति की राय क्रमांक 67 दिनांक 17-01-12 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 2195 दिनांक 22-10-2009 एवं नगर पालिक निगम प्रस्ताव क्रमांक 197 दिनांक 09-11-2009 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में वार्ड क्रमांक 01 से 69 में स्थित 1215 सार्वजनिक नलकूपों के स्थाई विद्युत संयोजन प्राप्त करने हेतु म.प्र.वि.वि.क.लि. को राशि रूपये 1,04,11,300/- भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय बजट मद क्रमांक 2301011 में से होगा।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह.) कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 282 दिनांक 28-07-2012

निगम तौलकांटे के संचालन का निजीकरण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 389 दिनांक 21-05-2012 पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की राय दिनांक 19.6.12 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में सदर कार्य हेतु दिनांक 30.03.12 को प्राप्त 03 निविदाओं में निविदा समिति की अनुशंसा अनुसार न्यूनतम निविदा दरदाता प्रभु तौलकांटा, नेमावर रोड़ द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर राशि रूपये 1,51,000/- प्रतिमाह की स्वीकृति एवं संक्षिप्त निविदा की पुष्टि की जाती है।

3. स्वास्थ्य समिति की राय अनुसार तौलकांटा का संचालन एवं संधारण के कार्य की सम्पूर्ण जवाबदारी फर्म की होगी। तौलकांटा बंद होने की स्थिति में फर्म को वैकल्पिक व्यवस्था करना होगी। प्रतिदिन कार्य की रिपोर्ट ऑनलाईन करते हुए संबंधित अधिकारियों को मोबाईल पर एसएमएस द्वारा सूचना करना होगी, उक्त शर्तें अनुबंध में सम्मिलित की जावें।

4. स्वास्थ्य समिति की अनुशंसा अनुसार तौलकांटा एवं आसपास के क्षेत्र में तीनों शिफ्ट में 3 सिक्यूरिटी गार्ड की आवश्यकता को देखते हुए 29-29 दिन के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित मस्टर पारिश्रमिक दर पर नितांत अस्थायी रूप से (कोई क्लेम मान्य नहीं होगा) कर्मचारी रखने की स्वीकृति दी जाती है। इसमें होने वाला व्यय निगम के संबंधित बजट मद में से किया जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर
दिनांक

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त, संलग्न-एक फाईल।
2. रेसीडेन्ट आडिटर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी की ओर वेबसाईट पर लोड करने हेतु।

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 283 दिनांक 28-07-2012

श्री अशोक गौहर (निलंबित) कल्याण अधिकारी, नगर पालिक निगम, इन्दौर को निलंबन भत्ता 50 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत देने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1230 दिनांक 23-06-12 पर विधि एवं सामान्य प्रशासन विभाग की पृष्ठांकन राय क्रमांक 2770 दिनांक 11-07-2012 पर विचार किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के श्री अशोक गौहर (निलंबित) कल्याण अधिकारी, नगर पालिक निगम, इन्दौर को निलंबन भत्ता देने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे
महापौर/पदेन अध्यक्ष
मेयर इन कौंसिल
नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक
प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

दिनांक

सचिव
नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 284 दिनांक 28-07-2012

दिनांक 31-12-2011 की स्थिति में 10 वर्ष अथवा उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले मस्टर कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 1801 दिनांक 26-07-2012 पर विधि तथा सामान्य प्रशासन समिति की राय क्रमांक 2816 दिनांक 27-07-2012 पर विचार किया गया।

2. आयुक्त के पत्र में उल्लेखित अनुसार म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ - 5 -3 / 2006 / एक / 3 दिनांक 16 मई 2006, 08.02.2008 एवं 06.09.2008 तथा म.प्र. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, विभाग, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-4-143/2007/18-1 दिनांक 13.10.2008, 18.06.2010 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि दिनांक 10.04.2006 की स्थिति में जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने 10 वर्ष अथवा उससे अधिक की सेवा पूर्ण कर ली हो, उनका नियमितिकरण किया जावे, उपरोक्त आदेश के पालन में निगम के द्वारा 149 मस्टर कर्मचारियों का नियमितिकरण किया जा चुका है।

3. नगर पालिक निगम, इंदौर के विभिन्न विभागों एवं झोनल कार्यालयों में दिनांक 31.12.2011 की स्थिति में 10 वर्ष अथवा उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले मस्टर कर्मचारियों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में समस्त विभागों/झोनल कार्यालयों से चाही गई थी। विभागों/झोनल कार्यालयों से प्राप्त जानकारी का कम्पाईलेशन किया जाकर तथा प्रोव्हिजनल वरीयता सूची परिपत्र क्रमांक 27 दिनांक 30.09.2011 जारी कर एक माह की समयावधि में दावें आपत्ति प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। नियत समयावधि में प्राप्त दावें आपत्तियों का झोनल कार्यालय/विभागस्तर पर परीक्षण कराया जाकर पात्रता रखने वाले कर्मचारियों के नाम व आवश्यक संशोधन करते हुए 1405 मस्टर कर्मचारियों की द्वितीय संकलित सूची दिनांक 05.06.2012 को जारी की जा चुकी है। जिन 1405 मस्टर कर्मचारियों नियमितिकरण किया जाना है, उनकी वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

• दि. 31.12.1988 से 10.04.1996 तक	89 मस्टरकर्मि
• दि. 01.01.1997 से 31.12.1997 तक	495 मस्टरकर्मि
• दि. 01.01.1998 से 31.12.1988 तक	454 मस्टरकर्मि
• दि. 01.01.1999 से 31.12.1999 तक	111 मस्टरकर्मि
• दि. 01.01.2000 से 31.12.2000 तक	78 मस्टरकर्मि
• दि. 01.01.2001 से 31.12.2001 तक	178 मस्टरकर्मि
	<hr/> 1405 मस्टरकर्मि

उपरोक्त उल्लेखित अवधि के पश्चात के 1405 मस्टर कर्मचारियों के नियमितिकरण की सतत् रूप से मांग की जा रही है परंतु शासन के द्वारा इन कर्मचारियों (अर्थात् 10.04.1996 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों) को नियमित करने के संबंध में किसी भी प्रकार के निर्देश अथवा नीति निर्धारित नहीं की है।

मस्टर कर्मचारियों की द्वितीय संकलित सूची मेयर इन कौंसिल की अनुशंसा प्राप्त कर, नियमितीकरण के संबंध में सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव शासन की और प्रेषित किया जाने की स्वीकृति चाही है।

4. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में शासन निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में निगम स्तर से नियमितीकरण नहीं किया जा सकता इस विषय पर शासन स्तर पर नीतिगत निर्णय के पश्चात स्पष्ट निर्देश वांछनीय है, अतएव दिनांक 31.12.2011 की स्थिति में 10 वर्ष अथवा उससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले मस्टर कर्मचारियों (अर्थात 10.04.1996 के पश्चात नियुक्त मस्टर कर्मचारियों) को नियमित करने हेतु शासन स्तर पर नीतिगत निर्णय के लिए प्रकरण अग्रेषित करने की स्वीकृति दी जाती है। शासन आदेश प्राप्त होने के पश्चात नियमितीकरण की कार्यवाही तदानुसार की जावे।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णमुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम,इन्दौर

दिनांक.

क्रमांक

प्रतिलिपी:—

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर

की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव

नगर पालिक निगम,इन्दौर

मेयर-इन कौंसिल संकल्प क्रमांक 285 दिनांक 28-07-2012

मस्टर पर नियुक्ति दिनांक को जिन मस्टर कर्मचारी की आयु निर्धारित सीमा से अधिक थी, ऐसे मस्टर कर्मियों का नियमितीकरण करने के संबंध में आयुक्त का पत्र क्रमांक 926 दिनांक 04-06-12 पर विधि एवं सामान्य प्रशासन विभाग की पृष्ठांकन राय क्रमांक 2764 दिनांक 11-07-2012 पर विचार किया गया। मेयर-इन-कौंसिल संकल्प क्रमांक 83 दिनांक 09-06-2010 एवं संकल्प क्रमांक 319 दिनांक 10-11-2010 का अवलोकन किया गया।

2. विचारोपरान्त आयुक्त के पत्र के संलग्न संक्षेपिका में दर्शाई स्थिति एवं अनुशंसा के प्रकाश में छानबीन समिति की अनुशंसा अनुसार 10 मस्टर कर्मचारियों को नियमित करने के संबंध में दिनांक 10-04-2006 की स्थिति में प्रथम नियुक्ति दिनांक को निर्धारित सीमा से आयु अधिक होने से अर्थात् आयु शिथिलीकरण के लिए शासन स्तर पर नीतिगत निर्णय के लिए प्रकरण अग्रेषित करने की स्वीकृति दी जाती है।

आयुक्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे।

(ह)कृष्णामुरारी मोघे

महापौर/पदेन अध्यक्ष

मेयर इन कौंसिल

नगर पालिक निगम,इन्दौर

क्रमांक

दिनांक

प्रतिलिपी:-

1. आयुक्त
2. रेसीडेन्ट आडिट
3. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
4. लोक सूचना अधिकारी, न.पा.नि. इन्दौर
की और जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव

नगर पालिक निगम,इन्दौर

